

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

कमांक...../चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक 09/04/2021

म.प्र. मूलभूत नियम के प्रावधानों के अनुसार तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के ज्ञापन कमांक 2446/21-ब(एक) दिनांक 15.04.2019 में दिये गये स्पष्टीकरण के परिपेक्ष्य में श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्र, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को रजिस्ट्री आदेश कमांक 13/गोप0/2021 जबलपुर दिनांक 05 जनवरी, 2021 द्वारा जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) (Selection Grade Scale) के वेतनमान में दिनांक 20.04.2018 से नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप उनका दिनांक 02.04.2013 से निम्नानुसार वेतन का पुनः निर्धारण किया जाता है:-

1.	2.	3.	4.	5.
उच्च न्यायिक सेवा के एण्ट्री वेतनमान रू0 51550-1230-58930-1380-63070/-में नियुक्ति का दिनांक	प्राप्त वेतन	वेतनवृद्धि का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
02.04.2013	51550.00 (39530-54010) 51550.00 29.11.2012	-	51550.00	02.04.2013
	आगामी वे0वृ0	29.11.2013	52780.00	01.11.2013
	आगामी वे0वृ0	29.11.2014	54010.00	01.11.2014
	आगामी वे0वृ0	29.11.2015	55240.00	01.11.2015
	आगामी वे0वृ0	29.11.2016	56470.00	01.11.2016
	आगामी वे0वृ0	29.11.2017	57700.00	01.11.2017
			58930.00	20.04.2018
	आगामी वे0वृ0	29.11.2018	60310.00	01.11.2018
	आगामी वे0वृ0	29.11.2019	61690.00	01.11.2019
	आगामी वे0वृ0	29.11.2020	63070.00	01.11.2020

चयन ग्रेड वेतनमान 57700-70290/- में नियुक्ति का दिनांक 20.04.2018

नोट:-मध्यप्रदेश शासन,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल के आदेश दिनांक 31.07.2020 के अंतर्गत श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्र की दिनांक 29.11.2020 की वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से स्वीकृत की गई है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

Sd/-  
(अजय पवार)  
रजिस्ट्रार(एम)

जबलपुर, दिनांक 09/04/2021

पृष्ठांकन कमांक...../चार-12-14/10

प्रतिलिपि:-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना/जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. सदस्य सचिव, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्र, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सतना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित),उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन कमांक Reg(IT)(SA)/2018/368 दिनांक 01.03.2018 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

Sd/-  
रजिस्ट्रार(एम)